BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियॉ (Functions and Powers of the President)

भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियॉ प्राप्त है लेकिन अध्ययन की दृष्टिकोण से समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बॉटा जा सकता है :–

1. सामान्यकालीन शक्तियॉ
2. आपातकालीन शक्तियॉ

सामान्यकालीन शक्तियॉ

कार्यपालिका शक्तियॉ (Executive Powers)

1. भारतीय संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वंय अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है।
2. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य करते हैं।
3. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के बीच कार्यो का बॅटवारा करता है।
4. राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों यथा– राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, निर्वाचन आयोग, विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आयोग

यथा– मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, CAG, अन्तर्राज्यीय परिषद् के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करता है।

5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम किये जायेंगे। केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है।
6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित है। भारत का राष्ट्रपति समस्त सेनाओं (जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना) का प्रधान सेनापति होता है, किन्तु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही करेगा।
7. भारतीय संघ का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में सन्धियॉ एवं समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।
8. भारत का राष्ट्रपति युद्व एवं शान्ति की घोषणा कर सकता है, किन्तु इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है।
9. राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन इनमें से कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।

विधायी शक्तियॉ (Legislative Power)

1. राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है एवं राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियॉ प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। वह प्रत्येक नये चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति, संसद के किसी सदन को विधेयक संबंधी व कोई अन्य संदेश भेज सकता है।

2. राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों (साहित्य, कला, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष सेवा) तथा लोकसभा में 02 सदस्यों (आंग्ल–भारतीय) को मनोनीत करने का अधिकार है।
3. राष्ट्रपति, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसी बैठक के बारे में राष्ट्रपति अधिसूचना तभी जारी करेगा, जब सदन से पारित होने के बाद छः माह बीत गया हो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, राष्ट्रीय बैंकिग अधिनियम 1978, POTA अधिनियम 2002 संयुक्त बैठक में पारित किए गये हैं।
4. संसद से सभी विधेयकों के पास होने के पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। संसद से पास होने के बाद सभी कानून उसकी स्वीकृति के लिए रखे जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक की स्वीकृति नहीं देने पर, वह पुनः संसद में विचार हेतु भेज सकता है। यदि वह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देना अनिवार्य होता है।
5. राष्ट्रपति, संसद के निम्न सदन को भंग कर सकता है, परन्तु व्यवहारिक तौर पर इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है।
6. यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उस स्थिति में संसद द्वारा पास एक्ट जैसी होती है परन्तु संसद के अधिवेशन आरम्भ होते ही अध्यादेश को संसद के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखना होता है नहीं तो इस अधिवेशन के आरम्भ होने से 6 सप्ताह पश्चात् वह अध्यादेश स्वतः रद्व हो जाता है।
7. प्रान्तों की सीमाओं और क्षेत्रों का नाम बदलने वाले विधेयक, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने वाला विधेयक भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता है।

<u>वित्तीय शक्तियॉ (Financial Power)</u>

1. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षो के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जो केन्द्र व राज्य के मध्य करों से प्राप्त आय का बॅटवारा करता है।
3. राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संसद के दोनो सदनों के समक्ष भारत सरकार के आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण(बजट) वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत करवायेगा।

क्षमादान शक्तियॉ अथवा न्यायिक शक्तियॉ

1. क्षमादान एक आग्रह है, इसलिए इसकी मॉग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है।
2. राष्ट्रपति किसी अपराधी के दण्ड को क्षमा, विलम्बन, विराम, परिहार, लघुकरण कर सकता है।
3. राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति – सभी मृत्यु दण्ड के मामले में, सेना न्यायालय से दण्डित होने के मामले में, विधि के विरूद्व अपराध के मामले में है।
4. राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रीपरिषद् के परार्मश के अनुसार ही करेगा। अतः क्षमादान की वास्तविक शक्ति मंत्रीपरिषद् में ही निहित है। राष्ट्रपति क्षमादान में स्वंय पहल नहीं कर सकता है।